निर्णय वइजलास श्री रामसिंह गुर्जर आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी छबडा जिला बारां द्वारा अध्यासित

प्रकरण संख्या 65 / 2025
दायरा दिनांकः–02.07.2025
निर्णय दिनांकः– 24.09.2025

उनवान

1. पुनिबाई आयु 55 साल पत्नि स्व0 रमेश जाति लोधी(लोधा) निवासी ग्राम बापचा तहसील छबडा जिला बारा (राज0)

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार तहसील छबड़ा जिला बारां

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136,एल0 आर एक्ट

निर्णय दिनांकः– 24.09.2025

अभिभाषक उपस्थितः–1. श्री भंवर सिी जादौन – प्रार्थी

अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 136,एल0 आर एक्ट विरूद्ध अप्रार्थीगण के न्यायालय में इस आशय का पेश किया गया कि वाके ग्राम बापचा तहसील छबड़ा में भूमि खाता संख्या 109 की खसरा नं 223 रकबा 0.3794 हैक्टेयर, खसरा नं 224 रकबा 0.0253 हैक्टेयर, खसरा न 236 रकबा 0.4679 हैक्टेयर, खसरा नं 406 रकबा 23520 हेक्टेयर, खसरा नं 74 रकबा 1.5427 हेक्टेयर कुल किता 5 की रकबा 4.7673 हैक्टेयर भूमि स्थित है जिसमें प्रार्थीया का हिस्सा 1/24 स्थित है जो दर्ज राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी में चला आ रहा है जिसकी वर्तमान जमाबन्दी प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है जिसे आगे उक्त प्रार्थना पत्र में विवादग्रस्त भूमि के नाम से संबोधित किया गया है। प्रार्थीया उक्त प्रार्थना पत्र की मद नं. 1 में वर्णित भूमि के अपने हिस्से पर गत कई वर्षों से काबिज रहकर शांतिपूर्वक काश्त करती चली आ रही है। उक्त प्रार्थना पत्र की मद नं. 1 में वर्णित भूमियात का प्रार्थीया का पति रमेश का फौती इंतकाल खोलते समय राजस्व कर्मचारियों के संहवन से में पुनिबाई के स्थान पर घर में बोलता नाम मुन्नीबाई दर्ज कर दिया गया है जबकि प्रार्थीया का वास्तविक नाम पुनिवाई है। जिसे दूरस्तीकरण किया जाकर मुन्नीबाई के स्थान पर पुनिबाई किया जाना आवश्यक है जो अत्यंत आवश्यक व न्यायोचित है। प्रार्थीया के सभी सरकारी दस्तावेजात आधार कार्ड, पहचान–पत्र जन आधार कार्ड, राशन कार्ड, सभी में प्रार्थीया का नाग पुनिबाई ही दर्ज है। प्रार्थीया के प्रार्थना पत्र की मद नं० 1 में वर्णित भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में गलत नाम मुन्नीबाई दर्ज होने से उसे केन्द्र सरकार, राज्य सरकार द्वारा जारी योजनाओं के लाभ व फसल मुआवजा राशि से वंचित होना पड़ रहा है। प्रार्थीया प्रार्थना पत्र की मद नं0 1 में वर्णित भूमि के खाते पर

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

सान क्रेडिट कार्ड बनवाकर ऋण प्राप्त कर ट्यूबवेल लगाकर तार फैन्सिंग कर भूमि समतल करवाकर प्रगतिशील काश्त करना चाहती है परन्तु प्रार्थीया को राजस्व रिकॉर्ड में नाम दूरस्तीकरण किये बिना संभव नही है।

प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जर्ये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी की ओर से रिपोर्ट/जवाब पेश हुआ। प्रार्थीया द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में नकल जमाबन्दी ग्राम बापचा सम्वत् 2073–76 खाता संख्या 109 पेश की गई। फोटो प्रति आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, परिवार राशन कार्ड, मृत्यु प्रमाण पत्र पेश किया गया।

बहस अभिभाषक प्रार्थीया सुनी गई। बहस के दौरान अभिभाषक प्रार्थीया द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यो को दौहराया गया वकील प्रार्थीया का कथन है कि विवादित आराजी वाके ग्राम बापचा तहसील छबडा में स्थित है। जिसमें प्रार्थीया का हिस्सा 1/24 दर्ज है। जिस पर प्रार्थीया काबिज काश्त करती चली आ रही है उक्त विवादित आराजी में प्रार्थीया के पति रमेश का फोती नामान्तरण खोलते समय सहवन से इन्तकाल में पुनिबाई के स्थान पर बोलता नाम मुन्नी बाई दर्ज हो गया है। जबकि प्रार्थीया का वास्तविक नाम पुनिबाई है प्रार्थीया का नाम राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में गलत दर्ज होने के कारण राज्य सरकार से मिलने वाले समस्त लाभों से वंचित होना पड रहा है प्रार्थीया के अन्य दस्तावेजात में सही नाम पुनिबाई है प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थीया का नाम पुनिबाई राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जावें।

इस सम्बन्ध में तहसीलदार छबडा से रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार छबडा ने रिपोर्ट में बताया कि प्रार्थीया राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में अपना नाम मुन्नी बाई के स्थान पर पुनिबाई करवाना चाहती है जिसके लिए राजस्व रिकार्ड का अध्ययन किया गया तो प्रार्थीया का नाम मुन्नी बाई ही है जो विरासत का नामान्तरण संख्या 2136 के जर्ये आया है लेकिन मुन्नी बाई के स्थान पर पुनिबाई किया जाना उचित है। क्योकि मुन्नी बाई नाम प्रार्थीया के शपथ पत्र एवं ग्राम वासियों के द्वारा लिखवाया गया था जबकि उसके पुत्र पुत्रियों एवं अन्य दस्तावेजों में पुनिबाई ही है इसके लिए मौके पर पहुचा ओर इस खाते के सहखातेदारो एवं ग्राम वासियो द्वारा बताया गया कि मुन्नी बाई एवं पुनिबाई एक ही है मुन्नी बाई के स्थान पर पुनिबाई किया जाना उचित होना बताया है।

बहस अभिभाषक प्रार्थीया सुनी गई। पत्रावली एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत नकल जमाबन्दी ग्राम बापचा सम्वत् 2073–76 खाता संख्या 109 में मुन्नी बाई पत्नि स्व0 रमेश हिस्सा 1/2 दर्ज है फोटो प्रति आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, परिवार राशन कार्ड में प्रार्थीया का नाम पुनिबाई दर्ज है मृत्यु प्रमाण पत्र दिनांक 15.09.2022 में मृतक रमेश के मृत्यु प्रमाण पत्र में पत्नि का नाम पुनिबाई दर्ज है इससे यह साबित होता है कि प्रार्थीया का नाम राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में मुन्नी बाई गलत दर्ज है तथा अन्य दस्तावेजों में पुनिबाई सही दर्ज है तहसीलदार छबडा ने भी अपनी रिपोर्ट में मृतक पति रमेश के फोती नामान्तरण खोलतें समय मुन्नी बाई दर्ज हो गया है परन्तु सही नाम पुनिबाई होना बताया है तहसीलदार छबडा ने भी मुन्नी बाई के स्थान पर पुनिबाई दर्ज करने की अनुशंषा की है तहसीलदार छबडा की रिपोर्ट एवं प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

उपखण्ड अधिकारी
छबडा (बारां)

:: **क्रियात्मक आदेश** ::

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है विवादित आराजी वाके ग्राम बापचा तहसील छबडा के खसरा नम्बर 223 रकबा 0.3794 है0 खसरा नम्बर 224 रकबा 0.0253 है0 खसरा नम्बर 236 रकबा 0.4679 है0 खसरा नम्बर 406 रकबा 2.3520 है0 खसरा नम्बर 74 रकबा 1.5427 है0 में प्रार्थीया का नाम मुन्नी बाई के स्थान पर पुनिबाई दर्ज करने के आदेश तहसीलदार छबडा को दिये जाते है।

निर्णय लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामसिंह गुर्जर)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी, छबडा
उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)